

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)
रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com, deo-vaishali@bihar.gov.in

पत्रांक-.....2147.....

सेवा में,

प्रधानाध्यापक एवं समस्त शिक्षक/शिक्षिका,
उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय साथियाउता,
प्रखंड-लालगंज, जिला वैशाली।

हाजीपुर, दिनांक-.....12/09/26.....

विषय:- स्पष्टीकरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अंकित करना है कि आप सभी की नियुक्ति विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण करने हेतु की गई है, परंतु प्रधानाध्यापक, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, साथियाउता, लालगंज के द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन से यह स्पष्ट हो रहा है कि एक ही परिसर में संचालित दोनों विद्यालयों (मध्य विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय) के द्वारा आपसी समन्वय के अभाव में छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साथ ही अधोहस्ताक्षरी के आदेश की पूर्ण रूप से दोनों विद्यालयों के द्वारा अवहेलना की गई है। उक्त आरोप में विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों तथा प्रधानाध्यापक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।

अतः आप सभी को निदेश दिया जाता है कि विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 1 से 12 तक के छात्र/छात्राओं से लिखित प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत करें कि विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य प्रभावित नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त पिछले 7 दिनों का सीसीटीवी वीडियो बैकअप अनिवार्य रूप से पेन ड्राइव में संधारित करते हुए कार्यालय को उपलब्ध कराएं। साथ ही आप सभी स्पष्ट करें कि किस परिस्थिति में आप सभी के द्वारा छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई है। क्यों नहीं उक्त आरोप में आप सभी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई प्रारंभ की जाए? का अपने अभिकथन एवं साक्ष्यों के साथ दिनांक 16.09.2026 को संध्या 5:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 16.09.2026 को दोनों विद्यालयों के किसी भी कर्मि एवं शिक्षक (प्रधानाध्यापक सहित) को किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। मामले की पूर्ण जांच होने तक दोनों विद्यालयों में पदस्थापित सभी शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है।

विश्वासभाजन

12-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।
12/9/26

ज्ञापांक:-.....2147..... हाजीपुर दिनांक:-.....12/09/2026.....

प्रतिलिपि:- प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लालगंज, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

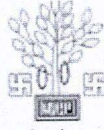
12-9-26
जिला शिक्षा पदाधिकारी,

वैशाली।
12/9/26

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

कार्यालय-आदेश

अधोहस्ताक्षरी ज्ञापांक 1434 दिनांक 10.12.2025 एवं ज्ञापांक 1127 दिनांक 10.10.2025 के माध्यम से सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया गया था कि एक ही परिसर में संचालित मध्य विद्यालय की कक्षा लेने हेतु आवश्यकता अनुसार उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षक को निर्देशित करेंगे। कई मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा पत्राचार किया गया कि उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक के शिक्षकों के द्वारा मध्य विद्यालय की कक्षा का संचालन अथवा उस विद्यालय के 6-8 वर्ग का संचालन नहीं किया जा रहा है या फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा उनका रूटीन मध्य विद्यालय के कक्षा संचालन हेतु नहीं दिया जा रहा है जिसके कारण पठन-पाठन का कार्य प्रभावित हो रहा है। आप सभी अवगत है कि मध्य विद्यालय का ही एक अंग उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय/उच्च माध्यमिक विद्यालय है। विभागीय आदेशानुसार सभी शिक्षक को कम से कम 6 घंटी शैक्षणिक कार्य करना अनिवार्य है।

उक्त के आलोक में सभी वैसे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि जहां एक ही परिसर में मध्य विद्यालय संचालित है में उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक के शिक्षकों को मध्य विद्यालय की कक्षा संचालन करने हेतु विधिवत् रूटिंग उच्चतर माध्यमिक एवं माध्यमिक के कक्षा संचालन के साथ-साथ मध्य विद्यालय के कक्षा संचालन हेतु वर्ग आवंटित करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अवांछनीय होगी तथा किसी भी स्तर से लापरवाही बरतने वाले के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक प्रारंभ की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

ज्ञापांक:- 530 हाजीपुर दिनांक:- 13/03/26

प्रतिलिपि:- सभी उच्चतर माध्यमिक/माध्यमिक के शिक्षक, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यरत प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय उपनिदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली

(शिक्षा भवन, दिग्धीकला, हाजीपुर)

रविन्द्र कुमार, बि०शि०से०
जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली।



मोबाईल नं०-8544412079
हाजीपुर, वैशाली-844102

E-mail Id.-deovaishali.edn@gmail.com

आदेश

अधोहस्ताक्षरी द्वारा हाल ही के दिनों में कई सारे विद्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। अधोहस्ताक्षरी एवं विभाग के द्वारा विभिन्न पत्राचार के माध्यम से विद्यालय के संचालन हेतु दिशा निर्देश निर्गत करने के बावजूद निरीक्षण के क्रम में विभिन्न प्रकार की कमियां पाई जा रही हैं, जो अत्यंत खेदजनक है। कुछ ऐसे भी विद्यालय हैं जिनका औचक निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा पिछले महीने में दो बार किया गया। प्रथम निरीक्षण में दिए गए दिशा निर्देश के बावजूद द्वितीय निरीक्षण के क्रम में कोई भी परिवर्तन या सुधारणात्मक प्रयास करते हुए विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक नहीं पाए गए। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा छात्रों को दी जा सके इसके लिए विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है। विद्यालयों में निम्न कमियां/लापरवाही पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए दूर करने की आवश्यकता है जो निम्नवत है—

1. विद्यालयों में साफ सफाई की व्यवस्था।
2. विद्यालयों में शिक्षक विभागीय नियमानुसार कक्षा संचालन करें। निरीक्षण के क्रम में पाया जा रहा है कि वर्ग कक्ष में कुछ शिक्षक आराम से बैठकर मोबाइल पर वार्तालाप या आपस में वार्तालाप करते रहते हैं एवं कक्षा का संचालन नहीं करते हैं। कुछ शिक्षक उपस्थिति दर्ज करने के पश्चात विद्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं, जो शिक्षक के आचरण एवं शिक्षक की गरिमा के प्रतिकूल कार्य को दर्शाता है। शिक्षक को चाहिए कि वे अपने शिक्षक की गरिमा, दायित्वों को समझे एवं उसका निष्ठापूर्वक निर्वहन करें।
3. अधिकांश शिक्षक के द्वारा पाठ-टीका संधारित नहीं किया जा रहा है। कुछ शिक्षकों के द्वारा पाठ-टीका के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की जा रही है, जो अत्यंत खेद का विषय है। सभी शिक्षक को स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि पाठ-टीका संधारित करेंगे।
4. औचक निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे भी विद्यालय पाए गए जो अपने मर्जी के अनुसार विद्यालय संचालन कर छात्रों के शिक्षा के अधिकार का हनन करते हुए विभागीय निर्देश के विपरीत छात्रों को अपराह्न 3:00 बजे ही छुट्टी दे रहे थे। इसे गंभीरता से लिया गया और ऐसे विद्यालय के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की गई है।
5. निरीक्षण के क्रम में अधिकांश विद्यालयों में विद्यालय का कैश बुक एवं विद्यालय के अन्य अभिलेख का संधारण नियमानुसार नहीं पाया गया।
6. अधोहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण के क्रम में ऐसे भी उच्च माध्यमिक विद्यालय का निरीक्षण किया गया जिसमें एक ही कैंपस में 1-12 संचालित है या 6-12 तक संचालित है। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि कक्षा 9 से 12 के शिक्षक कक्षा 1 से 3 या कक्षा 6 से 8 का वर्ग कक्ष खाली होने के बावजूद उस कक्षा का संचालन नहीं करते हैं। सभी शिक्षक 1-12 एवं दोनों ही विद्यालय के प्रधानाध्यापक को आदेश दिया जाता है कि एक दूसरे से आपस में समन्वय बना के रखेंगे एवं सभी कक्षा का संचालन सभी शिक्षक मिलकर करेंगे। अन्यथा की स्थिति में कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

7. निरीक्षण के क्रम में कुछ ऐसे भी विद्यालय पाए गए जिसमें अभी भी नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के प्रभार में है। विभागीय निर्देशानुसार विद्यालय में पदस्थापित सभी शिक्षकों का अवकाश HRMS के माध्यम से संधारित किया जाना है। उक्त के आलोक में वैसे

नियोजित शिक्षक जो वर्तमान में विद्यालय के प्रभार में को निर्देश दिया जाता है कि 24 घंटे के अंदर नियमानुसार विद्यालय के नियमित शिक्षक (विशिष्ट शिक्षक प्रतिस्थापित नहीं रहने की स्थिति में विद्यालय अध्यापक) को संपूर्ण प्रभार (वित्तीय सहित) देना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आपके प्रखंडाधीन ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं रहे जिसमें नियोजित शिक्षक विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक के पद पर है। प्राथमिक विद्यालय इसका प्रतिवेदन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को करेंगे एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा को पदस्थापना विवरणी के साथ अभिलंब प्रतिवेदन उपलब्ध करेंगे।

सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक/शिक्षिका उपरोक्त दिए गए निर्देशों का अक्षशः अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

है०—

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

ज्ञापांक:—.....1122..... हाजीपुर दिनांक:—.....10/10/25.....

प्रतिलिपि:—सभी प्रधानाध्यापक/ शिक्षक/शिक्षिका जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला-वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

तिलिपि:—सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, वैशाली को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:—क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंड, मुजफ्फरपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि:—जिला पदाधिकारी, वैशाली की सेवा में सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
वैशाली

सेवा में,

श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय,
वैशाली, हाजीपुर।

विषय : श्रीमती बिन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8), राजकीय मध्य विद्यालय, सथिऔता द्वारा प्रधानाध्यापक के प्रति अमर्यादित, अनुशासनहीन, आरोपात्मक एवं दबावपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित करने तथा एक ही परिसर में संचालित मध्य एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के मध्य निरंतर उत्पन्न की जा रही प्रशासनिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के संबंध में शिकायत एवं आवश्यक विभागीय हस्तक्षेप हेतु।

महोदय,

सविनय निवेदन है कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सथिऔता तथा राजकीय मध्य विद्यालय, सथिऔता एक ही विद्यालय परिसर में संचालित हैं। ऐसी स्थिति में दोनों विद्यालयों के बीच आपसी समन्वय, अनुशासन, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग तथा छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विद्यालय संचालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है।

किन्तु अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि विगत कुछ समय से मध्य विद्यालय से संबंधित विभिन्न विषयों को लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रशासन को लगातार प्रशासनिक कठिनाइयों, अनावश्यक विवाद एवं दबावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब मध्य विद्यालय में पदस्थापित श्रीमती बिन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8) द्वारा दिनांक 31.08.2026 को अपराह्न लगभग 02:15 बजे, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में ही, अधोहस्ताक्षरी के समक्ष मध्य विद्यालय में उच्च विद्यालय के शिक्षकों को भेजे जाने के विषय को लेकर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आरोपात्मक, अनुशासनहीन एवं दबावपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया गया (साक्ष्य के रूप में CCTV फुटेज उपलब्ध है)। उक्त घटना के संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक को लिखित रूप से अवगत कराते हुए संबंधित शिक्षिका को आवश्यक निर्देश एवं चेतावनी देने का अनुरोध भी किया गया है (छायाप्रति संलग्न)।

यह उल्लेखनीय है कि मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा शिक्षण सहयोग से इनकार नहीं किया गया, बल्कि उपलब्ध शिक्षकीय संसाधनों एवं माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय की अपनी कक्षा-सारणी को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों को मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग हेतु भेजने की प्रयास पूर्व से की जाती रही है। संलग्न अभिलेखों में भी इस विषय में पूर्व पत्राचार तथा शिक्षकों की समय-सारिणी उपलब्ध है।

इसके बावजूद एक ही परिसर में दोनों विद्यालयों के संचालन के क्रम में निम्नलिखित समस्याएँ लगातार सामने आ रही हैं :—

1. **मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग हेतु उपलब्ध कराई गई समय-सारिणी वापस करना :** विभागीय निर्देशों एवं छात्रहित को ध्यान में रखते हुए उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा उपलब्ध शिक्षकीय संसाधनों में से शिक्षकों को मध्य विद्यालय में निर्धारित अवधि में शिक्षण सहयोग हेतु भेजने के लिए समय-सारिणी तैयार कर उपलब्ध कराई गई थी। तथापि, बाद में मध्य विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई समय-सारिणी को स्वीकार करने के बजाय वापस कर दिया गया, जिससे विभागीय निर्देशों के अनुरूप शिक्षकीय संसाधनों के समन्वित उपयोग की व्यवस्था बाधित हुई।

यह स्थिति और भी विरोधाभासी प्रतीत होती है कि एक ओर माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा शिक्षण सहयोग हेतु तैयार समय-सारिणी स्वीकार नहीं की जाती, वहीं दूसरी ओर इसी विषय को लेकर संबंधित शिक्षिका द्वारा उच्च विद्यालय प्रशासन पर दबाव एवं अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शित किए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है।

2. **मध्य विद्यालय द्वारा कम्प्यूटर शिक्षक की प्रतिनियुक्ति हेतु अनावश्यक दबाव :** मध्य विद्यालय प्रशासन द्वारा कम्प्यूटर शिक्षा के उद्देश्य से उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत कम्प्यूटर शिक्षक को मध्य विद्यालय में प्रतिनियुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा छात्रहित को ध्यान में रखते हुए यह व्यावहारिक एवं अधिक उपयोगी सुझाव दिया गया कि मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं को निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार उच्च माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध ICT Lab में भेजा जाए, जहाँ वे कम्प्यूटर का प्रत्यक्ष एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें तथा उपलब्ध ICT संसाधनों का समुचित लाभ उठा सकें।

किन्तु उक्त व्यावहारिक व्यवस्था को स्वीकार करने के बजाय मध्य विद्यालय प्रशासन, विशेषकर श्रीमती बिन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8) द्वारा मध्य विद्यालय में पृथक् रूप से कम्प्यूटर शिक्षक भेजे जाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है। यह उल्लेखनीय है कि किसी शिक्षक की औपचारिक प्रतिनियुक्ति/प्रतिनियोजन का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के स्तर पर उपलब्ध नहीं है; अतः ऐसी मांग का अनुपालन प्रशासनिक रूप से संभव नहीं है। इसके अतिरिक्त, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय स्तर पर वर्ष 2027 एवं 2028 की बोर्ड परीक्षाओं हेतु कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 के छात्र-छात्राओं के पंजीयन संबंधित ऑनलाइन कार्य, लंबित APAR, तथा अन्य आवश्यक विद्यालयीय एवं कार्यालयीय कार्यों के समयबद्ध निष्पादन का दायित्व भी लंबित/प्रगति पर है। ऐसी स्थिति में कम्प्यूटर शिक्षक की सेवाएँ उच्च विद्यालय स्तर पर अत्यंत आवश्यक हैं। अतः उपलब्ध ICT Lab का उपयोग करते हुए मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करना अधिक व्यावहारिक, संसाधन-सम्मत एवं छात्रहितकारी व्यवस्था है।

इस तथ्य के बावजूद यदि ICT Lab में विद्यार्थियों को भेजने के स्थान पर केवल कम्प्यूटर शिक्षक को मध्य विद्यालय में भेजने की मांग पर लगातार जोर दिया जाता है, तो इससे यह प्रतीत होता है

कि व्यावहारिक शैक्षणिक समाधान को स्वीकार करने के बजाय प्रशासनिक दबाव उत्पन्न करने को अधिक महत्व दिया जा रहा है, जो दोनों विद्यालयों के बीच आवश्यक समन्वय के अनुकूल नहीं है।

3. अलग-अलग प्रार्थना सभा एवं राष्ट्रगान के समय समन्वय का अभाव : एक ही विद्यालय परिसर में मध्य विद्यालय तथा उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित होने के बावजूद पिछले कुछ महीनों से मध्य विद्यालय प्रशासन द्वारा अलग प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है। इससे परिसर में एकरूपता एवं अनुशासन प्रभावित हो रहा है। विशेष रूप से एक विद्यालय में राष्ट्रगान चलने के दौरान परिसर के दूसरे हिस्से में आवागमन अथवा अन्य गतिविधियाँ जारी रहने से राष्ट्रगान के समय अपेक्षित गरिमा एवं अनुशासन प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न होती है। अतः पूरे परिसर के लिए समन्वित प्रार्थना सभा एवं राष्ट्रगान की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है।
4. विद्यालय अवधि में मुख्य प्रवेश द्वार बार-बार खोले जाने की समस्या : मध्य विद्यालय की ओर से विद्यालय अवधि के दौरान परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार बार-बार खोल दिए जाने के कारण छोटे बच्चों के साथ-साथ माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं को भी निर्धारित समय से पूर्व विद्यालय परिसर से बाहर निकलने का अवसर मिल जाता है। इससे छात्र-सुरक्षा, नियमित उपस्थिति एवं विद्यालयीय अनुशासन प्रभावित हो रहा है तथा छात्र-छात्राओं में समयपूर्व विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति बढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
5. स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रशासन पर दबाव : मध्य विद्यालय के कुछ शिक्षक स्थानीय क्षेत्र से संबंधित हैं। विद्यालयीय एवं प्रशासनिक विषयों को विभागीय प्रक्रिया अथवा प्रधानाध्यापक स्तर पर आपसी समन्वय से हल करने के बजाय समय-समय पर स्थानीय ग्रामीणों के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर अनावश्यक दबाव बनाए जाने की स्थिति उत्पन्न होती रही है। इससे सामान्य प्रशासनिक विषय भी विवाद का रूप ग्रहण कर लेते हैं तथा विद्यालय के स्वतंत्र एवं नियमसम्मत संचालन में कठिनाई उत्पन्न होती है।
6. उच्च माध्यमिक भवन के शौचालय, वॉश-बेसिन एवं पाइप आदि को बार-बार क्षति : मध्य विद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा अपने शौचालय के बजाय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के भूतल पर स्थित शौचालयों का भी उपयोग किया जाता है। इस दौरान शौचालयों में अत्यधिक गंदगी होने तथा वॉश-बेसिन एवं उससे जुड़े पाइप आदि के बार-बार क्षतिग्रस्त होने की घटनाएँ सामने आती रही हैं। फलतः विद्यालय को बार-बार प्लम्बर बुलाकर मरम्मत करानी पड़ती है, जिससे विद्यालय निधि पर अनावश्यक वित्तीय भार पड़ रहा है।
7. उच्च माध्यमिक भवन में स्थापित वाटर प्यूरीफायर को क्षति : उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के भूतल पर छात्र-छात्राओं की पेयजल सुविधा हेतु स्थापित वाटर प्यूरीफायर को भी मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा उपयोग के क्रम में क्षति पहुँचने की घटनाएँ अक्सर सामने आती हैं। इससे पेयजल व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ उसकी मरम्मत पर उच्च माध्यमिक विद्यालय को अतिरिक्त राशि व्यय करनी पड़ती है।
8. मध्य विद्यालय के पास अपना समरसेबल उपलब्ध होने के बावजूद उच्च माध्यमिक विद्यालय के समरसेबल से जलापूर्ति : मध्य विद्यालय के पास अपना अलग समरसेबल उपलब्ध होने के बावजूद मध्य विद्यालय की जलापूर्ति का कनेक्शन उच्च माध्यमिक विद्यालय के समरसेबल से भी किया गया है। फलतः उच्च माध्यमिक विद्यालय के समरसेबल पर अतिरिक्त भार पड़ता है और कई अवसरों पर उच्च माध्यमिक भवन की तीसरी मंजिल पर स्थित पानी की टंकी पर्याप्त रूप से नहीं भर पाती है।

इससे उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं कर्मियों की पेयजल तथा शौचालय संबंधी व्यवस्था प्रभावित होती है और साथ ही गंदगी से किशोर छात्राओं में कई तरह की इन्फेक्शन होने की भी सम्भावना बनी रहती है।

संबंधित विद्यार्थियों की निगरानी तथा विद्यालय की सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण के प्रति उन्हें अनुशासित करने की सुझाव अधोहस्ताक्षरी के द्वारा दिये जाने पर इसका गलत अर्थ निकालते हुए मध्य विद्यालय प्रशासन द्वारा यह अफवाह फैलाया गया कि उनके बच्चों को शौचालय का उपयोग एवं पानी पीने से वंचित किया जा रहा है और उक्त समस्या के व्यावहारिक समाधान किए जाने बजाय स्थानीय स्तर से अनावश्यक दबाव बनाए जाने की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि अत्यंत खेदजनक है। इस संबंध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा भवदीय के कार्यालय में अलग से पत्र प्रेषित किया गया था। अतः मध्य विद्यालय प्रशासन से विद्यार्थियों की समुचित निगरानी एवं सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण हेतु आवश्यक अनुशासन सुनिश्चित किया जाना अपेक्षित है।

महोदय, उपर्युक्त घटनाओं को अलग-अलग घटनाओं के रूप में देखने के बजाय समग्रता में देखा जाना आवश्यक प्रतीत होता है। एक ओर उच्च माध्यमिक विद्यालय द्वारा मध्य विद्यालय के विद्यार्थियों के हित में अपने शिक्षकों की समय-सारिणी बनाकर शिक्षण सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है, वहीं दूसरी ओर उक्त समय-सारिणी वापस कर दी जाती है और तत्पश्चात इसी विषय को लेकर श्रीमती बिन्दु कुमारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अमर्यादित एवं दबावपूर्ण व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है। संलग्न अभिलेखों में शिक्षण सहयोग से संबंधित पूर्व पत्राचार भी उपलब्ध है।

इन परिस्थितियों से अधोहस्ताक्षरी के समक्ष यह गंभीर आशंका उत्पन्न हो रही है कि मध्य विद्यालय स्तर पर अपेक्षित शैक्षणिक सुधार, विद्यार्थियों के हित एवं दोनों विद्यालयों के मध्य सकारात्मक समन्वय पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय स्थानीय प्रभाव एवं स्थानीय व्यक्तियों के माध्यम से उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रशासन पर दबाव बनाने तथा उसे अनावश्यक विवादों में उलझाने की प्रवृत्ति को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा मिल रहा है। यदि इस स्थिति पर समय रहते सक्षम स्तर से हस्तक्षेप नहीं किया गया, तो इसका सीधा प्रतिकूल प्रभाव दोनों विद्यालयों के शैक्षणिक वातावरण, अनुशासन एवं छात्रहित पर पड़ने की संभावना है।

विशेष रूप से, मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक की उपस्थिति में ही उनके अधीनस्थ शिक्षिका द्वारा दूसरे विद्यालय की प्रधानाध्यापक के प्रति कथित अमर्यादित एवं दबावपूर्ण व्यवहार की घटना गंभीर प्रशासनिक चिंता का विषय है। इस प्रकार के व्यवहार को सामान्य आपसी मतभेद मानकर छोड़ दिया जाना भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को बढ़ावा दे सकता है।

अतः श्रीमान से सादर अनुरोध है कि मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए—

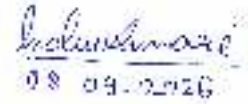
1. दिनांक **31.08.2026** की घटना एवं श्रीमती बिन्दु कुमारी के कथित अमर्यादित/अनुशासनहीन व्यवहार की निष्पक्ष विभागीय जाँच कराकर तथ्यों के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाए;

2. मध्य विद्यालय प्रशासन को उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रशासनिक कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप अथवा स्थानीय स्तर से दबाव की स्थिति उत्पन्न न होने देने हेतु स्पष्ट निर्देश दिया जाए;
3. दोनों विद्यालयों के लिए प्रार्थना सभा/राष्ट्रगान, मुख्य प्रवेश द्वार, शिक्षकीय सहयोग, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था तथा साक्षा संसाधनों के उपयोग के संबंध में स्पष्ट प्रशासनिक व्यवस्था निर्धारित की जाए; तथा
4. दोनों विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों एवं संबंधित शिक्षकों को छात्रहित को सर्वोपरि रखते हुए पारस्परिक सम्मान, विभागीय अनुशासन एवं समुचित प्रशासनिक समन्वय के साथ कार्य करने हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किए जाएँ।

यहां यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अधोहस्ताक्षरी का उद्देश्य किसी शिक्षक अथवा विद्यालय के विरुद्ध व्यक्तिगत शिकायत करना नहीं है, बल्कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सथिऔता को अनावश्यक बाहरी दबाव एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप से मुक्त रखते हुए तथा दोनों विद्यालयों के मध्य स्पष्ट कार्य-व्यवस्था स्थापित कर विद्यार्थियों के लिए अनुशासित, सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना है।

अतः प्रकरण में शीघ्र एवं प्रभावी प्रशासनिक हस्तक्षेप प्रदान करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजिका,



(इन्दु कुमारी, प्रधानाध्यापक)

उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सथिऔता

प्रखण्ड-लालगंज, जिला-वैशाली

UDISE Code – 10184100464

संलग्नक :

1. दिनांक 01.09.2026 को प्रधानाध्यापक, राजकीय मध्य विद्यालय, सथिऔता को प्रेषित पत्र की प्रति।
2. मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग हेतु पूर्व में किए गए पत्राचार की प्रतियाँ।
3. मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग हेतु तैयार/प्रेषित समय-सारिणी की प्रति।

प्रेषक,

प्रधानाध्यापक

उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सठिऔता प्रखण्ड-लालगंज, जिला-वैशाली-844123

मा० विद्यालय कोड-53315

UDISE CODE-10184100464

30 मा० वि० कोड-33202

पत्रांक...107.....

दिनांक...01.09.2026

सेवा में,

प्रधानाध्यापक महोदय,

राजकीय मध्य विद्यालय, सठिऔता,

प्रखण्ड-लालगंज, जिला-वैशाली।

विषय: श्रीमती बिन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8) द्वारा अमर्यादित, अनुशासनहीन एवं असहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित करने तथा मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग हेतु उच्च विद्यालय के शिक्षकों को भेजे जाने के संबंध में विद्यालय प्रशासन पर अनावश्यक दबाव बनाए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सठिऔता

एवं आपके अधीन संचालित राजकीय मध्य विद्यालय, सठिऔता एक ही विद्यालय परिसर में अवस्थित हैं। मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी के दृष्टिगत आपके स्तर से माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से मध्य विद्यालय में वर्ग-संचालन हेतु सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। उक्त अनुरोध एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में छात्रहित तथा विद्यालय परिसर में पठन-पाठन के सुचारु संचालन को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध शिक्षकीय संसाधनों के अनुरूप यथासंभव सहयोग हेतु आवश्यक समय-सारिणी भी उपलब्ध कराई जा चुकी है।

इसी क्रम में अत्यंत खेद के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि दिनांक 31.08.2026 को अपराह्न लगभग 02:15 बजे, आपके विद्यालय में पदस्थापित श्रीमती बिन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8) द्वारा मध्य विद्यालय में शिक्षण कार्य हेतु उच्च विद्यालय के शिक्षकों को भेजे जाने के विषय को लेकर आपकी उपस्थिति में ही अधोहस्ताक्षरी के समक्ष अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए अनुचित एवं अनावश्यक दबाव बनाए जाने का प्रयास किया गया। इस क्रम में उनके द्वारा मर्यादित कार्यालयीय आचरण के विपरीत आरोपात्मक, अनुशासनहीन एवं असहयोगात्मक व्यवहार प्रदर्शित किया गया, जिससे दोनों विद्यालयों के मध्य आवश्यक प्रशासनिक समन्वय एवं सौहार्दपूर्ण कार्य वातावरण प्रभावित होने की स्थिति उत्पन्न हुई।

इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों से मध्य विद्यालय में शिक्षण सहयोग उपलब्ध कराने की व्यवस्था विभागीय दिशा-निर्देशों के आलोक में विद्यार्थियों के शैक्षणिक हित एवं उपलब्ध शिक्षकीय संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से की गई है। तथापि, किस शिक्षक से, किस कक्षा में तथा किस अवधि में शिक्षण सहयोग लिया जाना व्यावहारिक रूप से संभव है, इसका निर्धारण संबंधित विद्यालयों की कक्षा-सारणी, शिक्षकों की उपलब्धता, माध्यमिक/उच्च माध्यमिक कक्षाओं की शैक्षणिक आवश्यकता तथा अन्य विद्यालयीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए प्रधानाध्यापक स्तर पर आपसी प्रशासनिक समन्वय से किया जाना अपेक्षित है। इस विषय को लेकर किसी शिक्षक द्वारा दूसरे विद्यालय के प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रशासन पर व्यक्तिगत रूप से दबाव बनाया जाना अथवा अमर्यादित एवं आरोपात्मक व्यवहार किया जाना सर्वथा अनुचित है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपर्युक्त वस्तुस्थिति का संज्ञान लेते हुए अपने अधीनस्थ श्रीमती विन्दु कुमारी, विद्यालय अध्यापक (वर्ग 6-8) को विद्यालयीय अनुशासन एवं कार्यालयीय मर्यादा का पालन करने, उच्च विद्यालय के प्रधानाध्यापक/विद्यालय प्रशासन के साथ अमर्यादित, आरोपात्मक अथवा असहयोगात्मक व्यवहार से परहेज करने तथा भविष्य में इस प्रकार के आचरण की पुनरावृत्ति नहीं करने हेतु अपने स्तर से स्पष्ट रूप से निर्देशित करते हुए आवश्यक चेतावनी देने की कृपा करें।

साथ ही, उन्हें यह भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाए कि भविष्य में इस प्रकार के अमर्यादित, अनुशासनहीन अथवा अनावश्यक दबावपूर्ण व्यवहार की पुनरावृत्ति होने की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण को उपलब्ध तथ्यों सहित सक्षम विभागीय वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रस्तुत करना बाध्यकारी होगा, जिसकी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षिका की होगी।

साथ ही, मध्य विद्यालय में शिक्षकों की कमी के कारण यदि माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालय से शिक्षण सहयोग की आवश्यकता हो, तो ऐसी आवश्यकता से प्रधानाध्यापक स्तर पर समुचित प्रशासनिक समन्वय के माध्यम से अवगत कराया जाए, ताकि दोनों विद्यालयों की शैक्षणिक आवश्यकताओं, कक्षा-सारणी एवं शिक्षकों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए द्वात्रहित में यथासंभव उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

यह पत्र भविष्य में दोनों विद्यालयों के मध्य सौहार्दपूर्ण प्रशासनिक समन्वय, पारस्परिक सम्मान, विद्यालयीय अनुशासन एवं स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीया,
Indul Kumar
01.9.2026
प्रधानाध्यापक

उत्तराखण्ड राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
दिल्ली

प्रतिलिपि : श्रीमान प्रबंध शिक्षा पदाधिकारी, नालगंज, वैशाली - सूचनार्थी

श्रीमान जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली की सेवा-शुक्र
सूचनाई समाप्ति।

उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

सठिऔता, प्रखण्ड - लालगंज, जिला - वैशाली

UDISE Code : 10184100464 | मा. कोड : 53315 | उ. मा. कोड : 33202

पत्रांक: 55

दिनांक : 09/04/2026

सेवा में,

श्रीमान् प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी महोदय,
जिला - वैशाली।

विषय: जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली के कार्यालय आदेश 530 दिनांक 13 मार्च 2026 के अनुपालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सादर अंकित करना है कि मध्य विद्यालय तथा उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय सठिऔता, लालगंज दोनों एक ही परिसर में अलग-अलग भवन में संचालित होते हैं। मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा उर्दू विषय के लिए शिक्षक को उच्च माध्यमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय में कक्षा लेने के लिए छात्रों के माध्यम से संदेश दिया गया था। सादर सूचित करना है कि मेरे विद्यालय में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर भाषा हिंदी तथा उर्दू के दो-दो शिक्षक कार्यरत हैं जिनमे से मध्य विद्यालय में एक-एक शिक्षक को अतिरिक्त कक्षा लेने के लिए मेरे द्वारा निर्देशित किया गया परंतु शिक्षकों ने विनमता पूर्वक कहा कि यदि मध्य विद्यालय के रूटीन में ही हम लोग का 1-2 पीरियड सामंजस्य कर दिया जाता है तो समय अनुसार हम लोग वहां भी कक्षा ले सकते हैं परंतु ऐसे ही कभी भी छात्रों के बुलावे पर हम लोग कैसे चले जाएंगे। मैंने स्वयं मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को कहा कि आप अपना रूटीन हमें बता दीजिए और रूटीन अनुसार नए सत्र अप्रैल 2026 से अपने विद्यालय में भी इन दो शिक्षकों का पीरियड व्यवस्थित कर रखेंगे ताकि दोनों विद्यालय में समान रूप से अध्ययन अध्यापन का कार्य होता रहे और इससे किसी को भी परेशानी नहीं होगी परंतु आज दिनांक 02.04.2026 तक उन्होंने न तो रूटीन प्रेषित किया है और न ही यह बताया है कि हम अपने विद्यालय के शिक्षकों को कब किस समय किस किस घंटी / पीरियड के लिए उनके यहां भेजें।

उपरोक्त स्थिति में श्रीमान से सादर अनुरोध है कि कृपया अपने स्तर से ही मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक महोदय को निर्देशित करने की कृपा की जाए ताकि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के निर्देशों का ससमय अनुपालन किया जा सके। सदर सूचनार्थ।

विश्वासभाजन,

Indu Khari
04/04/2026
(प्रधानाध्यापक)

Principal

Graded Sr. Secondary School
Sathiauta, Laiganj (Vaishali)

उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सठिऔता

प्रखण्ड-लालगंज, जिला-वैशाली-844123

मा० विद्यालय कोड-53315

UDISE CODE-10184100464

30 मा० वि० कोड-33202

पत्रांक...101.....

दिनांक...18.08.2026.....

प्रेषित,

प्र० प्रधानाध्यापक,
रा० म० वि० सठिऔता,
विद्यालय अध्यापक
उ० उच्च मा० वि० सठिऔता,

विषय: कक्षा संचालन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापक-1127 दिनांक-10.10.2025 ज्ञापक 1434 हाजीपुर दिनांक 10.12.2025 एवं ज्ञापक-1759 दिनांक 11.08.2026 तथा रा० म० वि० सठिऔता के कार्यालय पत्रांक 10 दिनांक 09.04.2026 के आलोक में निम्नांकित शिक्षक-शिक्षिकाओं को मा०/उ० मा० कक्षाओं के अतिरिक्त मध्य विद्यालय में कक्षा संचालन हेतु समय सारणी निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:

क्र.सं.	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	दिवस	अव्युक्ति/घंटी
1.	i) मो. मकसूद आलम	सोमवार	पहली घंटी (1st)
	ii) शिल्पी कुमारी		तीसरी घंटी (3rd)
2.	i) मो. मकसूद आलम	मंगलवार	पहली घंटी (1st)
	ii) राकेश कुमार		पहली घंटी (1st)
3.	i) मो. मकसूद आलम	बुधवार	पहली घंटी (1st)
	ii) विकास कुमार		पाँचवीं घंटी (5th)
4.	i) मो. इन्तेखाबुल हक	गुरुवार	छठी घंटी (6th)
	ii) कु० संगीता		छठी घंटी (6th)
5.	i) अनिल कुमार सिंह	शुक्रवार	पाँचवीं घंटी (5th)
	ii) अंशु कुमारी		सातवीं घंटी (7th)
6.	i) राजशाना खातून	शनिवार	तीसरी घंटी (3rd)
	ii) रूपम कुमारी		दूसरी घंटी (2nd)

नोट: उपरोक्त समय-सारणी में आवश्यकतानुसार परिवर्तन अवबोधगम्यरी द्वारा किया जा सकेगा।

Indu Sharma
प्रधानाध्यापक

उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय
प्रखण्ड-लालगंज (वैशाली)